भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5340

(दिनांक 05.04.2022 को उत्तर देने के लिए)

चैनलों का कूटलेखन

5340. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री बिद्‌युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सी-बैंड के अलावा अन्य सभी बैंडों के लिए चैनलों के कूटलेखन को अनिवार्य बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस प्रकार का कदम चैनलों के अवैध प्रसारण को रोकने में कैसे लाभदायक होगा;

(घ) क्या सरकार अप-लिंकिंग और डाउन-लिंकिंग नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि कुछ चैनलों को बिना लाइसेंस के डीडी फ्री डिश पर प्रसारित किया जा रहा है जिससे राजकोष को भारी नुकसान हो रहा है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्‌वारा अनुचित कार्यों में लिप्त इन चैनलों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (च): फ्री-टू-एयर चैनलों को अनिवार्य रूप से कूट लिखित होना आवश्यक नहीं है। यह रिपोर्ट किया गया है कि कुछ फ्री-टू-एयर चैनल, जो डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं हैं, के सिग्नल भी इन चैनलों और डीडी फ्री डिश के सिग्नलों की को-लोकेशन और फ्री-टू-एयर चैनलों के सिग्नलों का कूटलेखन अनिवार्य न होने के कारण प्राप्त किए जा रहे हैं।

*****